महिलाओं की इज्जत बनाम दुराचार

दिल्ली में एक फिजियोथेरेपिस्ट छात्रा के साथ चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। बलात्कार पीड़िताओं का नाम छुपाने का नियम है। ऐसा क्यों? इसलिये कि वह पीड़ित हैं, तकलीफ़ में हैं, उन्हें दुनियां को अपनी पहचान बताने में दिक्कत है। किन्तु दिक्कत है, हमारी सोच की वजह से, कि लोग भी पीड़ितों को ही दोषी ठहराते हैं। हमारे समाज में बचपन से ही लड़की को सिखाया जाता है कि इज़्ज़त ही उसकी अमूल्य धन है। पुत्री पवित्र किये कुल दोऊ। कि पुत्री को दोनों कुलों को पवित्र रखना है। निर्दोष होने के बावजूद दुष्कर्म की शिकार महिला को समाज में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ महिलाएं अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए न्याय के दरवाजे पर आवाज देती है, तो पुलिस प्रशासन और परिवार की ओर से उनका भी नाम गुप्त रखा जाता हैं।

दूसरी तरफ, आरोपियों के नाम धड़ल्ले से लिए जाते हैं। उन्हें कोई समस्या नहीं है। शायद ही कभी थाने में बलात्कारियों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करायी जाती है। अपराधी तो रिहा होकर अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं, वह खुली हवा में सांस लेते हैं। पीड़िता समाज से छुपती फिरती है, उसे समाज में सिर उठाकर चलना दुभर हो जाता है। जब भी किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है, तो उसके तन से कहीं ज्यादा जख्म उसके मन में होता है। इन्हें भुला देना तो कतई सम्भव नहीं है। पीड़िता जिंदगी भर उस पीड़ा का दंश झेलती है। कोई भी बहुमूल्य वस्तु चोरी हो जाने पर या छीन लिये जाने पर, या खो जाने पर उसे आशा होती है कि फिर से खोई चीज़ वापस मिल सकती है, किन्तु

जिस महिला की इज्जत चली जाती है, वह उसे जीवन में कभी वापस नहीं मिल सकती। घर और समाज से लेकर थाने, अस्पताल और न्यायालय में उसे ही अपराधी के तरह घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, कितनी तो आत्महत्या कर लेती है। तलवार से वार किया घाव तो सुख जाता है, किन्तु दुष्कर्म का दंश जीवन भर चुभता है। किसी भी महिला के लिए दुष्कर्म से बढ़कर और दूसरा कोई अपमान नहीं हो सकता। यह शर्मनाक है कि देश की राजधानी दिल्ली में एसी घटनाऐं हो रही हैं। हमारे नेता संसद में बैठकर बहस के दौरान घड़ियाली आसू बहाकर, बहस उड़ा रहे हैं। गृह मंत्री शिंदे ने कहा कि मेरी भी तीन बच्चियां हैं, इस पीड़िता को देखते हुए मुझे अपनी बच्ची का चेहरा याद आता है। कुछ समय के बाद मनमोहन सिंह भी यही बात बोलते हुए नज़र आये कि मैं भी तीन लड़कियों का पिता हूं, जब भी मैं इस घटना के बारे में सोचता हूं तो मुझे अपनी बच्ची का चेहरा याद आता है। तो क्या उनकी लड़कियां 'असुरक्षित' है। और राष्ट्रपति के बेटे हंसी उड़ा रहे थे कि महिलायें दिन को प्रदर्शन करती है और रात को डिस्कोथेक पहुंच जाती है। वहीं, हिंदू धर्म के ठेकेदार मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के एक मंत्री ने भी रामायण से लेकर एक टिप्पणी की कि अगर लक्ष्मण रेखा लांघी जायेगी तो सीता हरण होगा ही। यह जो कबीर दास की पंक्ति है, कि जाके पांव न फटे बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। क्या उनके लिये यह कहने का समय था, अपने को संत कहलाने वाला महा पाखंडी आसाराम ने तो और घाव पर नमक छिड़कते हुए कहा कि ताली दोनों हाथ से बजती है, जब आसाराम के खुद अपने मन में एक महिला के प्रति सम्मान नहीं है, उन्हें तो उस पीड़िता को देवी के रूप में मानना चाहिए जिसे वह दोषी मानते हैं तो एक शराबी नशे में धर्म और नीति की बात क्या समझ सकता है? उन्होंने कहा कि अगर वह लड़की उनसे दीक्षा ली होती तो बच जाती, उसको हाथ पकड़ कर कहती कि मैं अबला हूं ,मुझे अपनी बहन मानो। यहां तुलसीदास की चौपाई आसाराम के लिए सही है कि पर घर घालक लाज न भीरा। बांझ की जान प्रसव के पीड़ा। वह जिसे न लाज है, न शर्म है, दूसरे के घर को पीड़ा देने वाला पाखंडी है। जिसने खुद कभी पीड़ा महसूस नहीं किया, वह बांझ प्रसव की पीड़ा को क्या समझेगी? इस दर्द को कभी गहराई से सोचकर नहीं देखा कि जनता क्यों आक्रोश में है? वह तो घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई।

पुलिसकर्मी के सुरक्षा घेरे में रहते हुए नेता जनता को बेवकूफ बनाने के लिये इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या उनकी भी लड़कियां कहीं इसी तरह बस या ट्रेन से अकेले यात्रा करती है? जरा ये भी अपने मन में सोच कर देखें। जिन लोगों को लड़की है, उन लोगों के लिये तो और ही ज्यादा चिंता का विषय है। उनके घर में लड़कियां अकेली हो तब भी, लड़की बाहर कहीं निकलती है तब भी, कहीं लड़कियों को साथ ले जाने पर भी, वह अपनी लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिये कैसे भेज सकते हैं? जब लड़की घर से बाहर कॉलेज या कहीं भी जाने लगती है तो उनके माता-पिता अच्छी तरह से समझा-बुझाकर भेजते हैं कि रास्ते में ठीक से जाना किसी भी अनजान लड़के से बात नहीं करना, अंधेरा होने से पहले आ जाना। यही बात लड़का के माता-पिता अपने लाडले को क्यों नहीं समझाते कि बेटा किसी भी महिला को सम्मान करो, किसी भी लड़की को मत छेड़ो,। अगर रास्ते में कोई लड़का किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा हो तो तुम उस लड़की का मदद करना वह भी तुम्हारी ही बहन की तरह है, तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करे तो तुमको कैसा लगेगा। यहीं से लड़के और लड़कियों में भेद-भाव बताया जाता है कि तुम लड़की हो, इसलिये तुमको समाज में नीचे झुककर रहना है। इसीलिये लड़कियों के अंदर हीन भावना आ जाता है। उसे एसा लगता है कि वह पराधीन है, दूसरे के अधीन रहना है। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिये विभिन्न संगठनों ने कैंडल मार्च निकालकर विजय चौक, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और जगह-जगह पर धरना-प्रदर्शन किया, तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दिन भर में सात बार आंसू गैस छोड़ी, लाठियां बरसाईं, फिर भी आक्रोश लगातार बढ़ता गया। पुलिस की कार्रवाई में कितने प्रदर्शनकारी घायल भी हुए। आज महिलाऐं कहीं भी सेफ नहीं है बस से लेकर ट्रेन, कॉलेज, स्कूल हर जगह छेड़खानी आम बात हो गई है।

-नीलिमा झा

दुश्मनी का दंश झेलती हैं औरतें

बलात्कार, दुश्कर्म, यौन-शोषण, यौन-उत्पीड़न, छेड़छाड़ आदि शब्दों से भरे शीर्षकों से राष्ट्रीय और स्थानीय दैनिक अखबार पटे पड़े रहते हैं। बलात्कार की लगातार बढ़ रही इन घटनाओं को देखकर लगता है कि हम भयमुक्त और तरक्की पसंद समाज गढ़ने की बजाय मध्ययुगीन या बर्बर समाज तैयार कर रहे हैं। पिता द्वारा बेटी का, किशोरवय लड़के द्वारा वृद्ध महिला का बलात्कार किया जाना हमारे समाज में व्याप्त यौन कुंठा को ही दर्शाता है। इन घटनाओं में इजाफ़ा यह भी बताता है कि महिलाओं कों समाज ने वस्तु का दर्जा दिया हुआ है।

मेरे एक मित्र का हाल ही में मणिपुर जाना हुआ, उन्होंने जो बातें हमसे साझा कीं, वो और भी चौंकानेवाली हैं। उनके अनुसार मणिपुर की महिलाएं बलात्कार और यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं पर कभी पुलिस में नहीं जाती हैं। उनकी पारंपरिक और स्थानीय पंचायत बलात्कारी से दंडस्वरूप मामूली कोई वस्तु लेकर मामले का रफा-दफा कर देती है। हालांकि दूसरे कई जो विकसित इलाके हैं, जहां जीवन की तमाम सुविधाए पहुंच चुकी हैं, वहां का समाज भी बलात्कारियों के खिलाफ़ मुंह शायद ही खोल पाने की हिम्मत जुटा पाता है। शायद ही कभी थाने में बलात्कारियों के खिलाफ़ प्राथमिकी दर्ज करायी जाती है। बलात्कारी खुली हवा में सांस लेते हैं और पीड़िता हर लम्हा उस पीड़ा का दंश झेलती रहती है। घर और समाज से लेकर थाने, अस्पताल और न्यायालय में उसे ही अपराधी की तरह घृणा और जूठे पत्तल की तरह देखा जाता है।

पूंजीवादी विकास के मॉडल में सांस्कृतिक पहल को धकेलकर हाशिये पर पहुंचा दिया जाता है ताकि भोगवादी नजरिये का विकास करने में पूंजीपतियों को मदद मिल सके। सिनेमा से लेकर घर के अंदर टेलिविजन पर चलने वाले सिनेमा, सीरियल और विज्ञापन आपकी यौन कुंठा को बढ़ाने में ही मदद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस मॉडल पर चलकर कभी भी बलात्कार जैसी घटनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है।

आप यदि एक औसत निकालें तो तीन से चार बलात्कार की खबरें हर रोज अखबारों में जरूर पढ़ने को मिल जाती हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार दो बलात्कार की घटनाओं के बीच मात्र 20-22 मिनट का ब्रेक होता है। दरअसल अखबारों में प्रकाशित ऐसे आंकड़े हमें आइना दिखाने का काम करते हैं कि हमारा समाज किस कदर उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ये आंकड़े भारत सरकार के ही एनसीआरबी यानी पुलिस में दर्ज कराए गए मामलों के होते हैं। एक पत्रिका में प्रकाशित आंकड़े के हवाले से कहा जाए तो 50 बलात्कार के मामलों में से मात्र एक मामला ही पुलिस के रिकार्ड में दर्ज हो पाता है। इसे आप एक उदाहरण के जरिये समझ सकते हैं कि किस तरह एक बलात्कार की प्राथमिकी दर्ज कराने से लेकर न्याय मिलने तक परेशानियों से दो-चार होना पड़ता है। बोकारो (झारखंड) की दो अनाथ लड़कियों के साथ स्कूल के

बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर नियंत्रण पाने के बारे में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने यह सलाह दे डाली, 'लडकियों की शादी की उम्र 18 से घटाकर 15 कर देनी चाहिये।' इतना ही नहीं उन्होंने अपनी सलाह के पीछे तर्क दिया कि मुगलकाल में अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए भी हम ऐसा करते रहे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या केवल 15-18 वर्ष से बीच के उम्र की लड़कियों का ही बलात्कार हो रहा है? नवजात शिशुओं से लेकर जीवन के अंतिम अवस्था को प्राप्त कर चुकी महिलाएं भी अपने को हरियाणा समेत दूसरे राज्यों में महफूज नहीं पाती हैं। क्या हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम आज भी मुगलकालीन समाज में हैं, जहां बेटियों के पैदा होते ही उन्हें नमक चटाकर मार दिया जाता था?

चौकीदार विजय शर्मा ने बलात्कार किया और इसकी शिकायत पीड़िताओं ने स्कूल के प्रभारी से तत्काल कर दी, लेकिन स्कूल के प्रबंधन के कान पर कोई जूं तक नहीं रेंगी। लड़कियों ने अपनी पीड़ा के बारे में फ़िर एक शिक्षिका को भी लिखा, लेकिन घटना के सात महीने बीत जाने के बाद भी आरोपी विजय शर्मा के खिलाफ़ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई जा सकी। नतीजा यह हुआ कि बलात्कारी विजय शर्मा खुलेआम घूम रहा है। आपसी बातचीत के दौरान यह खबर किसी तरह स्थानीय अखबार के रिपोर्टर के हाथ लगी और वह वहां के अखबारों में यह मुद्दा सुर्खियों में आ गया। प्रशासन नींद से जगा और तब जाकर हजारीबाग के कमिश्नर नितिन कुलकर्णी ने 12 अक्टूबर 2012 को मामले का संज्ञानं लेते हुए बोकारों के उपायुक्त सुनील कुमार को प्रथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। उपायुक्त नें इस मामले में यह भी स्वीकार किया कि डीएसपी पुर्णेन्दु विक्रम शाही ने सितंबर में मामले की जांच पूरी होने के बावजूद उन्हें रिपोर्ट नहीं भेजी थी। इस किस्से को थोड़ा विस्तार में बताने का मकसद यहां यह है कि एक बलात्कार की शिकार महिला को न सिर्फ मानसिक आधातों से पार पाना होता है बल्कि उसे न्याय पाने के लिये कितने स्तरों पर संर्घष करना होता है।

आंकड़ों की ही मानें तो चार बलात्कारियों में से सिर्फ एक को ही सजा मिल पाती है। दो दशक पहले न्यायालयों में बलात्कार के लंबित मामले का प्रतिशत 78 था, जो अब बढ़कर 83 फीसदी हो गया है। बलात्कार पीड़िताओं के लिये पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करा पाने तक की यात्रा उसके अंतहीन संघर्षों का एक पड़ाव भर है। पुलिस जांच और निचली अदालत में उसके साथ पूछताछ का तौर-तरीका भी बहुत ही अपमानजनक और घृणास्पद होता है। अपमानजनक रवैये का स्तर तब और गहरा जाता है जब बलात्कार पीड़िता दलित और पिछड़ी जाति से आती है। हाल के दिनों में हरियाणा में बलात्कार की घटनाओं पर गौर करें तो आप देखेंगे कि ज्यादातर हादसे दलित लड़कियों या महिलाओं के साथ घटे हैं। बलात्कार की घटनाओं पर वहां के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सहित खाप पंचायतें और महाखाप पंचायतों का रवैया तो चिंताओं को और बढ़ाने का काम करता है। राष्ट्रीय राजनीति में बैठे पुरुधाओं के रवैये से कोई उम्मीद की किरण नहीं जगती है। हरियाणा में चालू कैलेंडर में बीते महिने के दौरान 19 बलात्कार की घटनाएं घटीं, जबकि 2011 में यहां औसतन हर महीने 60 से अधिक बलात्कार की घटनाएं घटीं थीं। बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर नियंत्रण पाने के बारे में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने यह सलाह दे डाली, 'लडकियों की शादी की उम्र 18 से घटाकर 15 कर देनी चाहिये।' इतना ही नहीं उन्होंने अपनी सलाह के पीछे तर्क दिया कि मुगलकाल में अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए भी हम ऐसा करते रहे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या केवल 15-18 वर्ष से बीच के उम्र की लड़कियों का ही बलात्कार हो रहा है? नवजात शिशुओं से लेकर जीवन के अंतिम अवस्था को प्राप्त कर चुकी महिलाएं भी अपने को हरियाणा समेत दूसरे राज्यों में महफूज नहीं पाती हैं। क्या हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम आज भी मुगलकालीन समाज में हैं, जहां बेटियों के पैदा होते ही उन्हें नमक चटाकर मार दिया जाता था?

-स्वतंत्र मिश्र